FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

किशन वगै0 **बनाम** **तहसीलदार नीमकाथाना**

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी **मु0नं0** 248 **सन्** **2025 जीसीएमएस नं.** 2025/457

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
06-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री रोशन लाल अग्रवाल उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 23.06.2025 को पेश हो।	
	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक [illegible]|6|25 को पेश हो।	
17|06|2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप0। अप्रार्थी की तामील सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 06.06.2018 को करवा लिया था। अब प्रार्थीगण अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 06.06.2018 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस को सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण सीमाज्ञान दिनांकित 06.06.2018 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :–	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav

Date: 2025.07.11 13:16:45 IST

Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना** **उनवानी किशन कुमावत वगै0 बनाम** तहसीलदार नीमकाथाना मु.सं. 248/2025

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम कस्बा नीमकाथाना पटवार हल्का नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 135 रकबा 1.95 है0 में प्रार्थीगण तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 06.06.2018 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढ़ी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.07.11 13:16:45 IST
Reason: SelfAttested